रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 1979/माघ 17, 1900
No. 40] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 1979/MAGHA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1979

संकल्प

[संख्या 4(20)/78-एफ. डी. ए. 11.—सरकार ने फास्फेटिक उर्वरकों के लिए 16 मार्च, 1976 से प्रभावी एक मूल्य समर्थन योजना 1250 रुपये प्रति टन पी$_2$ ओ$_5$ की एकसमान दर पर लागू की थी ताकि मूल्यों में कमी लाई जा सके और ये उर्वरक किसानों को एक उचित दर पर उपलब्ध कराए जा सकें। प्रत्येक फास्फेटिक उत्पाद के मूल्य को मूल्य समर्थन, जो ऐसे उत्पादों के पी$_2$ ओ$_5$ के अंश पर निर्भर करते हुए लागू थे, तक कम किया गया। उर्वरक मूल्य समिति की सिफारिशों के आधार पर, 1 नवम्बर, 1977 से सरकार ने यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्सियम अमोनियम नाईट्रेट नामक शुद्ध (स्ट्रेट) नाईट्रोजिनियस उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्यों की एक प्रणाली प्रारम्भ की। क्षमता उपयोग और अनुबन्धित उपभोग मानदण्डों के निर्धारित किए गए स्तरों तथा शुद्ध मूल्य पर कराधान के पश्चात् 12 प्रतिशत की वसूली के आधार पर कारखाने से बाहर स्ट्रेट नाईट्रोजिनियस उर्वरकों के लिए उचित प्रतिधारण मूल्यों के बारे में इस मूल्य पर कराधान के पश्चात् 12 प्रतिशत वसूली की व्यवस्था है। इस प्रणाली के अन्तर्गत मिश्रित फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माताओं को मिश्रित उर्वरकों के इस समय प्राप्त मूल्यों के अनुसरण में उनके कारखाने से बाहर मूल्य (बिना आर्थिक सहायता) और उनके उत्पादों के लिए निश्चित किए गए कारखाने से बाहर उचित प्रतिधारण मूल्यों के बीच का अन्तर अदा किया जाएगा। इसलिए मिश्रित फास्फेटिक उर्वरकों की एकसमान मूल्य समर्थन योजना के स्थान पर प्रत्येक निर्मित उत्पाद के लिए निश्चित किए गए कारखाने से बाहर उचित प्रतिधारण मूल्य से सम्बन्धित एक मूल्य समर्थन योजना को स्थापित किया जाएगा।

3. मिश्रित फास्फेटिक उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य योजना 1 फरवरी 1979 से लागू होगी।

4. सरकार ने 1 फरवरी, 1979 से मिश्रित फास्फेटिक उर्वरकों का कानूनी मूल्य नियंत्रण की सीमा में लाने का भी निर्णय किया है और इसके साथ-साथ इस सम्बन्ध में उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

5. मिश्रित फास्फेटिक उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य योजना का संचालन उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा किया जाएगा जो स्ट्रेट नाईट्रोजिनियस उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य योजना का

आदेश

[संख्या 4(20)/78-एफ. डी. ए. 1].—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रीय प्रशासनों लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. एम. केलकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

New Delhi, the 1st February, 1979

RESOLUTION

No. 4(20)/78-FDA-I.—The Government had introduced with effect from 16th March, 1976 a scheme of price support on phosphatic fertilizers at a uniform rate of Rs. 1250/- per tonne of P_2O_5 in order to bring down the prices and to make these fertilizers available to farmers at a reasonable rate. The price of each phosphatic fertilizer product was brought down to the extent of price support applicable on such product, depending on the content of P_2O_5 therein. With effect from 1st November, 1977, the Government introduced a system of retention prices for the straight nitrogenous fertilizers, namely, Urea, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate, based on the recommendations of the Fertilizer Prices Committee. The system provided for a fair ex-factory retention price for the nitrogenous fertilizers, based on prescribed levels of capacity utilisation and stipulated consumption norms and a post-tax return of 12 per cent on the net worth.

2. Based on the recommendations of the Fertilizer Prices Committee, the Government have now decided to introduce a system of retention prices for the complex phosphatic fertilizers also. This provides for a post-tax return of 12 per cent on the net worth based on prescribed levels of capacity utilisation and stipulated consumption norms. Under this system, the manufacturers of complex phosphatic fertilizers will be paid the difference between their ex-works price (without subsidy) in terms of the current prevailing prices of complex fertilizers and the fair ex-works retention prices determined for their products. The scheme of uniform price support on complex phosphatic fertilizers will, therefore, be replaced by a scheme of price support related to the fair ex-works retention price determined for each product manufactured.

3. The scheme of retention prices for complex phosphatic fertilizers will come into force with effect from the 1st February, 1979.

4. The Government have also decided to bring the complex phosphatic fertilizers within the purview of the statutory price control with effect from 1st February, 1979 and orders have simultaneously been issued in this regard under the Fertilizer Control Order.

5. The scheme of retention prices for complex phosphatic fertilizers will be operated by the Fertilizer Industry Coordination Committee which is operating the scheme of retention prices for straight nitrogenous fertilizers.

6. The current set of ex-works retention prices will be in force upto 31st March, 1979. For the next pricing period commencing from 1st April, 1979, retention prices will be worked out by the Fertilizer Industry Coordination Committee.

ORDER

No. 4(20)/78-FDA-I.—Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. M. KELKAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979